

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(19)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक 13-07-2020

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैनुअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार निम्नांकित अभिभाषकों को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सं04, कोटपूतली एवं सं02, शाहपुरा जिला जयपुर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक के रिक्त पदों पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 14,700/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है:-


क्र0सं0	नाम अभिभाषक	एनरोलमेन्ट नं0	पद नाम/स्थान
1	श्री योगेश कुमार सैनी	आर/42/12	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं04, कोटपूतली, जिला जयपुर
2	श्री सोहन लाल नैनावत	आर/2226/08	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं02, शाहपुरा, जिला जयपुर

आज्ञा से

हुं
(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर जिला, जयपुर।
- 8 अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सं0 4, कोटपूतली, एवं सं0 2 शाहपुरा, जिला जयपुर।
- 9 जिला कलक्टर, जयपुर।
- 10 कोषाधिकारी, जयपुर।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 14 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।


(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(8)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक 13-07-2020

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैनुअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार श्री विष्णु लाल सुवालका, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं० आर/607/89) को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, गंगापूर, जिला भीलवाड़ा में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, गंगापूर, जिला भीलवाड़ा के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 14,700/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

ह

(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
5. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
7. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा।
8. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, गंगापूर जिला भीलवाड़ा।
9. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा।
10. कोषाधिकारी, भीलवाड़ा।
11. संबंधित अभियोजक।
12. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
13. सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
14. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

ह 13/7/2020

(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(25)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक 13-07-2020

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार श्री भरत सिंह गहलोत्, अधिवक्ता (एनरोलमेंट नं0 आर/430/93) को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, सं07, जोधपुर महानगर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं0 7, जोधपुर महानगर के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रुपये 14,700/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।


आज्ञा से

ह०

(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
5. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
7. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर।
8. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं0 7 जोधपुर महानगर।
9. जिला कलक्टर, जोधपुर।
10. कोषाधिकारी, जोधपुर।
11. संबंधित अभियोजक।
12. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
13. सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- ✓14. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।


(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(27)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक 13-07-2020

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैनुअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार श्री राम मनोहर डूडी, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं0 आर/2013/08) को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, मकराना, जिला नागौर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, मकराना, जिला नागौर के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 14,700/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

हुं

(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
5. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
7. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेडता जिला नागौर।
8. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मकराना, जिला नागौर।
9. जिला कलक्टर, नागौर।
10. कोषाधिकारी, नागौर।
11. संबंधित अभियोजक।
12. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
13. सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
14. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।



(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(9)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक 13-07-2020

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैनुअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार निम्नांकित अभिभाषकों को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सं06 एवं 7, बीकानेर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक के रिक्त पदों पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 14,700/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है:-


क्र0सं0	नाम अभिभाषक	एनरोलमेन्ट नं0	पद नाम/स्थान
1	श्री शिवपुरी	आर/2060/02	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं06, बीकानेर
2	श्री पदम सिंह	आर/62/01	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं07, बीकानेर

आज्ञा से


(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
5. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
7. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बीकानेर।
8. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं0 06 एवं 07 बीकानेर।
9. जिला कलक्टर, बीकानेर।
10. कोषाधिकारी, बीकानेर।
11. संबंधित अभियोजक।
12. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
13. सहायक लेखाधिकारी, प्रथम विधि(वादकरण) विभाग।
- ✓ 14. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।


(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(13)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक 13-07-2020

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैनुअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार श्री अब्दुल हई खान, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं0 आर/97/83) को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, महवा, जिला दौसा में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, महवा, जिला दौसा के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 14,700/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

ह०

(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
5. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
7. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा।
8. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, महवा, जिला दौसा।
9. जिला कलक्टर, दौसा।
10. कोषाधिकारी, दौसा।
11. संबंधित अभियोजक।
12. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
13. सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
14. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

ह० 13/7/2020

(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि